रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-13082021-228971
CG-MH-E-13082021-228971

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 332] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
No. 332] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SHRAVANA 22, 1943

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई,13 अगस्त, 2021

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

[आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021

सं. सेबी/एल.ए.डी-एन.आर.ओ/जी.एन./2021/41.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (खक) तथा खंड (ग) और धारा 12 की उप-धारा (1) तथा (1ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे:

   परंतु यह कि विनियम 12 में किए गए संशोधन राजपत्र में इन विनियमों के प्रकाशित होने की तारीख से इक्यानवेवें दिन लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में,-

I. विनियम 2 के उप-विनियम (1) में,

i. खंड (झ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(झ) "ऋण निधि" (डैट फंड) का अर्थ है - वह आनुकल्पिक निवेश निधि, जो, निधि (फंड) के बताए गए उद्देश्यों के अनुसार, मुख्य तौर पर सूचीबद्ध (लिस्टिड) या असूचीगत (अनलिस्टिड) इन्वेस्टी कंपनियों (ऐसी कंपनियों जिनमें निवेश किया जाए) की ऋण प्रतिभूतियों (डैट सिक्यूरिटीज़) अथवा प्रतिभूत ऋण लिखतों (सिक्योरिटाइज़्ड डैट इन्स्ट्रूमेंट्स) में निवेश करती हो;"

ii. खंड (त) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(त) "निवेशयोग्य निधियों" (इन्वेस्टेबल फंड्स) का अर्थ है - आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम का कॉर्पस, जिसमें से निधि (फंड) के प्रबंधन आदि से संबंधित खर्चों (निधि की अवधि के संबंध में अनुमानित) को घटा दिया जाए।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, शब्द "अवधि" का अर्थ है – स्कीम के शुरू होने के दिन से लेकर उसकी मीयाद [जैसा निधि दस्तावेजों (फंड डॉक्यूमेंट्स) में बताया गया हो] के अंतिम दिन तक का समय;"

iii. खंड (म) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(म) "यूनिट" का अर्थ है - आनुकल्पिक निवेश निधि या आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम में निवेशकों का लाभार्थी (फायदाप्रद) हित और जो या तो पूर्णतः समादत्त (फुली पेड-अप) हो या अंशतः समादत्त (पार्टली पेड-अप) ।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, अंशतः समादत्त यूनिटें यह दर्शाएंगी कि वादे के अनुसार निवेशक द्वारा जितनी पूंजी निवेश की जानी थी उसमें से उसके द्वारा आनुकल्पिक निवेश निधि या आनुकल्पिक निवेश निधि की स्कीम में कितना निवेश कर दिया गया;"

II. विनियम 12 में,

i. उप-विनियम (2) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(2) ऐसा प्लेसमेंट मैमोरैन्डम (स्थानन ज्ञापन) बोर्ड के पास मर्चेंट बैंकर के माध्यम से, स्कीम शुरू किए जाने से कम से कम तीस दिन पहले दाखिल किया जाएगा और जिसके साथ दूसरी अनुसूची में यथा निर्धारित फीस भी लगाई जाएगी:

परंतु यह कि यदि आनुकल्पिक निवेश निधि द्वारा पहली स्कीम शुरू की जा रही हो, तो ऐसे में स्कीम की फीस संबंधी अपेक्षा लागू नहीं होगी ।"

ii. उप-विनियम (3) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(3) बोर्ड स्कीम शुरू किए जाने से पहले मर्चेंट बैंकर को अपनी टिप्पणियाँ (यदि कोई हों) सूचित कर सकेगा, और मर्चेंट बैंकर यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम शुरू किए जाने से पहले प्लेसमेंट मैमोरैन्डम (स्थानन ज्ञापन) में इन टिप्पणियों के अनुसार बदलाव आदि कर लिए जाएँ ।"

III. विनियम 13 के उप-विनियम (3) में, शब्द तथा चिह्न *"आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधि"* के पश्चात् और शब्द *"असीमित अवधि वाली"* से पूर्व, शब्द *"की स्कीमें"* अंत:स्थापित किए जाएँगे ।

IV. विनियम 15 के उप-विनियम (1) में, खंड (च) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(च) निवेशयोग्य निधियों (इन्वेस्टेबल फंड्स) के जितने हिस्से का निवेश न किया गया हो उस हिस्से का और बिक्री आदि (डाइवेस्टमेंट) से मिले जिन पैसों को निवेशकों में बांटना बाकी हो उन पैसों का निवेश लिक्विड म्यूचुअल फंडों या बैंक जमाओं (बैंक डिपॉज़िट्स) या उच्चतर गुणवत्ता (क्वालिटी) वाली अन्य अर्थसुलभ आस्तियों (लिक्विड असेट्स) [जैसे खजाना हुंडियों (ट्रेज़री बिल), त्रिपक्षीय रेपो संबंधी लेनदेन और

निपटान (सेटलमेंट), वाणिज्यिक पत्र (कमर्शियल पेपर), जमा-प्रमाणपत्रों (सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट्स), आदि] में तब तक किया जा सकेगा, जब तक निवेश के उद्देश्य के अनुसार पूरे पैसे न लगा दिए जाएं या निधि दस्तावेजों की शर्तों आदि के अनुसार निवेशकों में पैसे का बंटवारा न कर दिया जाए (जो भी लागू हो);"

V. विनियम 16 में,-

i. उप-विनियम (1) के खंड (क) में,-

क. चिह्नों तथा शब्दों *"(लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) में"* के पश्चात् दिया हुआ शब्द *"या"*, चिह्न *","* से प्रतिस्थापित हो जाएगा;

ख. शब्दों *"यूनिटों में निवेश करेगी"* के पश्चात्, शब्द तथा अंक *"या प्रवर्ग II की आनुकल्पिक निवेश निधियों की यूनिटों में निवेश करेगी, जैसा इस विनियम में निर्धारित किया गया है"* अंतःस्थापित किए जाएंगे।

ii. उप-विनियम (2) का खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्, -

"(क) कम से कम पचहत्तर प्रतिशत निवेशयोग्य निधियों का निवेश जोखिम पूँजी उपक्रम (वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग) के असूचीगत इक्विटी शेयरों या इक्विटी संबद्ध लिखतों (इक्विटी लिंक्ड इंस्ट्रूमेंट) में किया जाएगा अथवा एसएमई एक्सचेंज में या किसी एक्सचेंज के एसएमई खंड (सेगमेंट) में सूचीबद्ध (लिस्टिड) कंपनियों या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित कंपनियों में किया जाएगा:

परंतु यह कि निधि (फंड) अपनी अवधि (जीवन चक्र) पूरी होने तक खंड (क) में दी हुई निवेश संबंधी शर्तें पूरी करेगी।"

iii. उप-विनियम (2) के खंड (ख) का लोप हो जाएगा।

iv. उप-विनियम (2) का खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) ऐसी निधियाँ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] के अध्याय-IX के अनुसार, निर्गम के जिस हिस्से में पैसा न लगाया गया हो (जो हिस्सा अनसब्स्क्राइब्ड रह गया हो) उसमें पैसा लगाने के लिए अथवा बाजार-निर्माण (मार्केट मेकिंग) की प्रक्रिया में प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) प्राप्त करने या उनकी डिलीवरी के संबंध में मर्चेंट बैंकर के साथ एक करार कर सकेगा, और इस प्रकार पैसा लगाए जाने या बाजार-निर्माण के अनुसरण में प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के किए गए अर्जन (एक्विज़ीशन) या की गई बिक्री के मामले में उप-विनियम (2) के खंड (क) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।"

v. उप-विनियम (2) का खंड (घ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(घ) ऐसी निधियों (फंड) को एसएमई एक्सचेंज में या किसी एक्सचेंज के एसएमई खंड (सेगमेंट) में सूचीबद्ध कंपनियों में, ऐसी कंपनियों के ड्यू डिलिजेंस के अनुसरण में, किए गए निवेश के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन्स, 2015] के विनियम 3 के उप-विनियम (1) एवं (2) तथा विनियम 4 के उप-विनियम (1) से छूट होगी, बशर्ते कि नीचे दी गई शर्तें पूरी की जाएं:

(i) निधि (फंड) को, ऐसे ड्यू डिलिजेंस के अनुसरण में, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में की गई किसी ट्रेडिंग (व्यापार) के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र), इस प्रकार ट्रेडिंग किए जाने की तारीख से दो ट्रेडिंग (व्यापार) के दिनों के भीतर, उन स्टॉक एक्सचेंजों को करना होगा जहाँ इन्वेस्टी कंपनी (ऐसी कंपनी जिसमें निवेश किया जाए) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो;

(ii) इस प्रकार किया गया निवेश, निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन रहेगा।"

vi. उप-विनियम (3) में, शब्द, अंक तथा चिह्न *"निम्नलिखित शर्तें विनियम 16 के उप-विनियम (1) में अधिकथित शर्तों के अतिरिक्त"*, शब्दों, चिह्नों तथा अंक *"उप-विनियम (1) में दी हुई शर्तों के अलावा निम्नलिखित शर्तें"*से प्रतिस्थापित हो जाएंगे ।

vii. उप-विनियम (3) का खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(क) कम से कम पचहत्तर प्रतिशत निवेशयोग्य निधियों का निवेश जोखिम पूँजी उपक्रमों (वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग) या इन्वेस्टी कंपनियों (ऐसी कंपनियों जिनमें निवेश किया जाए), जो एसएमई हों, की असूचीगत प्रतिभूतियों (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़) या भागीदारी हित (पार्टनरशिप इंटरेस्ट) में अथवा एसएमई एक्सचेंज में या किसी एक्सचेंज के एसएमई खंड (सेगमेंट) में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित कंपनियों में अथवा प्रवर्ग II की आनुकल्पिक निवेश निधियों (जो मुख्य तौर पर ऐसे जोखिम पूँजी उपक्रमों या ऐसी इन्वेस्टी कंपनियों में निवेश करती हों) की यूनिटों में किया जाएगा;"

viii. उप-विनियम (3) का खंड (ख) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) ऐसी निधियाँ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] के अध्याय-IX के अनुसार, निर्गम के जिस हिस्से में पैसा न लगाया गया हो (जो हिस्सा अनसब्स्क्राइब्ड रह गया हो) उसमें पैसा लगाने के लिए अथवा बाजार-निर्माण (मार्केट मेकिंग) की प्रक्रिया में प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) प्राप्त करने या उनकी डिलीवरी के संबंध में मर्चेंट बैंकर के साथ एक करार कर सकेगा;"

ix. उप-विनियम (3) का खंड (ग) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ग) ऐसी निधियों (फंड) को एसएमई एक्सचेंज में या किसी एक्सचेंज के एसएमई खंड (सेगमेंट) में सूचीबद्ध कंपनियों में, ऐसी कंपनियों के ड्यू डिलिजेंस के अनुसरण में, किए गए निवेश के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन्स, 2015] के विनियम 3 के उप-विनियम (1) एवं (2) तथा विनियम 4 के उप-विनियम (1) से छूट होगी, बशर्ते कि नीचे दी गई शर्तें पूरी की जाएं:

(i) निधि (फंड) को, ऐसे ड्यू डिलिजेंस के अनुसरण में, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में की गई किसी ट्रेडिंग (व्यापार) के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र), इस प्रकार ट्रेडिंग किए जाने की तारीख से दो ट्रेडिंग (व्यापार) के दिनों के भीतर, उन स्टॉक एक्सचेंजों को करना होगा जहाँ इन्वेस्टी कंपनी (ऐसी कंपनी जिसमें निवेश किया जाए) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो;

(ii) इस प्रकार किया गया निवेश, निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन रहेगा ।"

x. उप-विनियम (4) के खंड (ख) के पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

"परंतु यह और कि अनुदान (ग्रान्ट) की न्यूनतम रकम से संबंधित प्रावधान अक्रेडिटिड निवेशकों के मामले में लागू नहीं होगा:"

xi. उप-विनियम (5) का खंड (क) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(क) कम से कम पचहत्तर प्रतिशत निवेशयोग्य निधियों का निवेश जोखिम पूँजी उपक्रम (वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग) या इन्वेस्टी कंपनियों (ऐसी कंपनियों जिनमें निवेश किया जाए) या विशेष प्रयोजन माध्यमों, जो अवसंरचना परियोजनाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स) के कामकाज में, उसे विकसित करने में या उसे धारण (होल्ड) करने में लगे हुए हों अथवा उसके प्रयोजनार्थ बनाए गए हों, की असूचीगत प्रतिभूतियों (अनलिस्टिड सिक्यूरिटीज़) या यूनिटों या भागीदारी हित (पार्टनरशिप

इंटरेस्ट) में अथवा प्रवर्ग II की आनुकल्पिक निवेश निधियों (जो मुख्य तौर पर ऐसे जोखिम पूँजी उपक्रमों या ऐसी इन्वेस्टी कंपनियों या ऐसे विशेष प्रयोजन माध्यमों में निवेश करती हों) की यूनिटों में किया जाएगा;"

VI. विनियम 17 में,

i. खंड (ङ) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(ङ) प्रवर्ग II की आनुकल्पिक निवेश निधियाँ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 [सेबी (इश्यू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोज़र रिक्वायरमेंट्स) रेग्यूलेशन्स, 2018] के अध्याय-IX के अनुसार, निर्गम के जिस हिस्से में पैसा न लगाया गया हो (जो हिस्सा अनसब्स्क्राइब्ड रह गया हो) उसमें पैसा लगाने के लिए अथवा बाजार-निर्माण (मार्केट मेकिंग) की प्रक्रिया में प्रतिभूतियाँ (सिक्यूरिटीज़) प्राप्त करने या उनकी डिलीवरी के संबंध में मर्चेंट बैंकर के साथ एक करार कर सकेगा;"

ii. खंड (च) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"(च) ऐसी निधियों (फंड) को एसएमई एक्सचेंज में या किसी एक्सचेंज के एसएमई खंड (सेगमेंट) में सूचीबद्ध कंपनियों में, ऐसी कंपनियों के ड्यू डिलिजेंस के अनुसरण में, किए गए निवेश के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग) रेग्यूलेशन्स, 2015] के विनियम 3 के उप-विनियम (1) एवं (2) तथा विनियम 4 के उप-विनियम (1) से छूट होगी, बशर्ते कि नीचे दी गई शर्तें पूरी की जाएं:

(i) निधि (फंड) को, ऐसे ड्यू डिलिजेंस के अनुसरण में, प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में की गई किसी ट्रेडिंग (व्यापार) के संबंध में प्रकटीकरण (डिस्क्लोज़र), इस प्रकार ट्रेडिंग किए जाने की तारीख से दो ट्रेडिंग (व्यापार) के दिनों के भीतर, उन स्टॉक एक्सचेंजों को करना होगा जहाँ इन्वेस्टी कंपनी (ऐसी कंपनी जिसमें निवेश किया जाए) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हो;

(ii) इस प्रकार किया गया निवेश, निवेश किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक लॉक-इन रहेगा।"

अजय त्यागी, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./198/2021-22]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/04/11262, 21 मई 2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 तत्पश्चात्, -

(1) 16 सितम्बर, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2013-14/24/6573, द्वारा

(2) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

(3) 26 सितम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/11/1576, द्वारा

(4) 14 अगस्त, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/011, द्वारा

(5) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/026, द्वारा

(6) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा

(7) 1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2018, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2018/19, द्वारा

(8) 10 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2019, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2019/16, द्वारा

(9) 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

(10) 19 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2020/37, द्वारा

(11) 8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी./एन.आर.ओ./जी.एन./2021/01, द्वारा

(12) 5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/21, द्वारा

(13) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

(14) 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/33, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th August, 2021

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

(ALTERNATIVE INVESTMENT FUNDS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/41.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 read with sub-section (1) of Section 11, clause (ba) and clause (c) of sub-section (2) of section 11 and sub-section (1) and (1B) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 namely:–

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2021.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

   Provided that the amendments to regulation 12 shall come into force on the ninety first day from the date of publication of these regulations in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012,-

   I. In sub-regulation (1) of regulation 2,

      i. clause (i), shall be substituted with the following, namely, -

         "(i) "debt fund" means an Alternative Investment Fund which invests primarily in debt securities of listed or unlisted investee companies or in securitized debt instruments as per the stated objectives of the Fund;"

ii. clause (p) shall be substituted with the following, namely, -

"(p) "investable funds" means corpus of the scheme of Alternative Investment Fund net of expenditure for administration and management of the fund estimated for the tenure of the fund.

Explanation: For the purpose of this clause, the expression "tenure" means the duration of scheme from the day of its launch till last day of the term as specified in the fund documents;"

iii. clause (y) shall be substituted with the following, namely, -

"(y) "unit" means beneficial interest of the investors in the Alternative Investment Fund or a scheme of the Alternative Investment Fund and may be fully or partly paid up.

Explanation: For the purpose of this clause, partly paid up units shall represent the portion of committed capital invested by the investor in Alternative Investment Fund or scheme of the Alternative Investment Fund;"

II. In regulation 12,

i. in sub-regulation (2), after the words *"the Board"* and before the word *"atleast",* the words and symbol *"through a merchant banker,"* shall be inserted.

ii. sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely, -

"(3) The Board may communicate its comments, if any, to the merchant banker prior to launch of the scheme and the merchant banker shall ensure that the comments are incorporated in the placement memorandum prior to launch of the scheme."

III. In sub-regulation (3) of regulation 13, before the words and symbol *"Category III"*, the words *"Schemes of"* shall be inserted.

IV. In sub-regulation (1) of regulation 15, clause (f) shall be substituted with the following, namely, -

"(f) Un-invested portion of the investable funds and divestment proceeds pending distribution to investors may be invested in liquid mutual funds or bank deposits or other liquid assets of higher quality such as Treasury bills, Triparty Repo Dealing and Settlement, Commercial Papers, Certificates of Deposits, etc. till the deployment of funds as per the investment objective or the distribution of the funds to investors as per the terms of the fund documents, as applicable;"

V. In regulation 16,

i. in clause (a) of sub-regulation (1),

a. after the words *"limited liability partnerships",* the word *"or"* shall be substituted with the symbol ","

b. after the words *"sub category"*, the words and symbol *"or in units of Category II Alternative Investment Funds as specified in this regulation*" shall be inserted.

ii. clause (a) of sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -

"(a) at least seventy five percent of the investable funds shall be invested in unlisted equity shares or equity linked instruments of a venture capital undertaking or in companies listed or proposed to be listed on a SME exchange or SME segment of an exchange:

Provided that the investment conditions specified in clause (a) shall be achieved by the fund by the end of its life cycle."

iii. clause (b) of sub-regulation (2) shall be omitted.

iv. in clause (c) of sub-regulation (2), the words and symbols *“Chapter XB of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 and the provisions of clause (a) and clause (b) of sub-regulation (2)”* shall be substituted with the words and symbols *“Chapter IX of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 and the provisions of clause (a) of sub-regulation (2)”.*

v. clause (d) of sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely, -

“(d) such funds shall be exempt from sub-regulations (1) and (2) of regulation 3 and sub-regulation (1) of regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 in respect of investment in companies listed on the SME exchange or SME segment of an exchange pursuant to due diligence of such companies subject to the following conditions:

(i) the fund shall disclose any trading in securities pursuant to such due-diligence, within two trading days of such trading, to the stock exchanges where the investee company is listed;

(ii) such investment shall be locked in for a period of one year from the date of investment.”

vi. in clause (a) of sub-regulation (3), after the words *“of an exchange”*, the words and symbol *“or in units of Category II Alternative Investment Funds which invest primarily in such venture capital undertakings or investee companies*” shall be inserted.

vii. In clause (b) of sub-regulation (3), the words and symbols “*Chapter XB of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009*” shall be substituted with the words and symbols *“Chapter IX of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018”.*

viii. clause (c) of sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely, -

“(c) such funds shall be exempt from sub-regulations (1) and (2) of regulation 3 and sub-regulation (1) of regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 in respect of investment in companies listed on the SME exchange or SME segment of an exchange pursuant to due diligence of such companies subject to the following conditions:

(i) the fund shall disclose any trading in securities pursuant to such due-diligence, within two trading days of such trading, to the stock exchanges where the investee company is listed;

(ii) such investment shall be locked in for a period of one year from the date of investment.”

ix. After the first proviso to clause (b) of sub-regulation 4, the following proviso shall be inserted, namely, -

“Provided further that the minimum amount of grant shall not apply to accredited investors:”

x. in clause (a) of sub-regulation (5), after the words *“infrastructure projects”*, the words and symbol *“or in units of Category II Alternative Investment Funds which invest primarily in such venture capital undertakings or investee companies or special purpose vehicles*” shall be inserted.

VI. In regulation 17,

i. in clause (e), the words and symbols "*Chapter XB of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009*" shall be substituted with the words and symbols *"Chapter IX of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018"*.

ii. clause (f) shall be substituted with the following, namely,-

"(f) Category II Alternative Investment Funds shall be exempt from sub-regulations (1) and (2) of regulation 3 and sub-regulation (1) of regulation 4 of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 in respect of investment in companies listed on the SME exchange or SME segment of an exchange pursuant to due diligence of such companies subject to the following conditions:

(i) the fund shall disclose any trading in securities pursuant to such due-diligence, within two trading days of such trading, to the stock exchanges where the investee company is listed;

(ii) such investment shall be locked in for a period of one year from the date of investment."

AJAY TYAGI, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./198/2021-22]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were published in the Gazette of India on May 21, 2012 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/04/11262.
2. The Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012 were subsequently amended on, –

(1) 16th September, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/24/6573.

(2) 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.

(3) 26th September, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/11/1576.

(4) 14th August, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/011.

(5) 4th January, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/026.

(6) 6th March, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.

(7) 1st June, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2018 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2018/19.

(8) 10th May, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2019 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2019/16.

(9) On 17 April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.

(10) 19th October, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2020/37.

(11) 8th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD/NRO/GN/2021/01.

(12) 5th May, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2021/21.

(13) 3rd August, 2021 by the (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.

(14) 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2021/33.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.13 22:00:32 +05'30'